5/9/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री शिवकुमार जोशी उपस्थित है। पेशकार सरकार तथा वकील अप्रार्थी श्री राहुल आचार्य उपस्थित है। वकील अप्रार्थी श्री राहुल आचारी द्वारा संशोधित उनवान तथा नवीन संयोजित अप्रार्थीगण रामप्रसाद, रामचन्द तथा महावीर की ओर से जवाब पत्र पेश किया गया। पेशकार सरकार द्वारा प्रकरण मे राजहित प्रभावित नही होने कथन करते हुये प्रार्थना पत्र को साबित करने का भार प्रार्थी गणो पर बताया। वकील उभयपक्षकारो द्वारा बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA बाबत निवेदन किया गया। मूल पत्रावली 72/2023 मे प्रार्थी गणो तथा अप्रार्थी सं. 1 व 3 लगा. 8 के मध्य नियमानुसार बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री तथा आदेश जारी किये गये है। पत्रावली मे उभयपक्षकारो से बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली मे दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादग्रसित आराजीयात प्रार्थीगणो तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 5 की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। जिसमे प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 [illegible] का कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु अप्रार्थीगणो द्वारा प्रश्नगत आराजीयात मे मौका की जमीन को बेचान करने पर आमादा है तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगणो को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः अप्रार्थीगणो को ताफैसला मूल वाद निषेधाज्ञा राजस्व रिकार्ड तथा लगातार

सि/

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबन्द किया जाना अति आवश्यक तथा न्याय संगत है। वकील अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत जवाब प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 तथा संशोधित जवाब का हवाला देते हुये पत्रावली में कथन किये कि अप्रार्थी सं. 2 ब्रजबिहारी जिसका नाम पत्रावली पर से विलोपित किया गया, से अप्रार्थी सं. 6-7-8 द्वारा प्रश्नगत आराजी का 1/4 हिस्सा खरीद किया है। वर्तमान जमाबन्दी मे ब्रजबिहारी के नाम ही चल रही है। जबकि वह अपनी सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6,7,8 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा तस्दीक कर बेचान कर चुके है। पत्रावली पर से अप्रार्थी सं. 2 ब्रजबिहारी का नाम विलोपित किया जा चुका है। माननीय न्यायालय राजस्व द्वारा प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी सं. 1 तथा 3 लगा. 4 के मध्य हक हिस्से अनुसार व मिडल तथा बाउन्ड्स के अनुसार बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है। प्रश्नगत आराजीयात मे प्रार्थीयां तथा अप्रार्थी 1 तथा 3 लगा. 4 का अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। वर्तमान मे प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगणों के मध्य मौका पर कोई विवाद नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक ऐसा कोई document पेश नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय को जानकारी हो कि, प्रार्थी तथा अप्रार्थीगणों के मध्य मौका पर कोई विवाद हो। मूल पत्रावली में न्यायालय द्वारा

लगातार-

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

अंतवारे की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है; अतः स्थाई

प्रश्नकारों को बिना किसी ठोस वजह के अस्थाई

अन्तरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि

सम्मत नहीं है। च्यूंकि पत्रावली में अंतवारे बाबत प्राथमिक

डिक्री आदेश पारित किये जा चुके है. तथा मौके पर

~~[illegible]~~ विवाद संबंधी कोई परेशानी नहीं होने

से दिनांक 3/10/2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई

निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाकर निष्प्रभावी

किया जावें तथा धारा 212 LRA को खारिज किया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं

होने तथा प्रार्थना पत्र को ~~[illegible]~~ साबित करने का

भार प्रार्थी पर होना बताया। पत्रावली तथा उपलब्ध

दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया तथा

~~द~~ बहस वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी और पैरोकार

सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली की

मूल पत्रावली 74/2023 में अंतवारे की प्राथमिक डिक्री जारी

की जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी तथा अप्रार्थीगणों

के मध्य मौका पर विवाद संबंधी पुलिस / थाना

संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं जिससे

न्यायालय को ये समाधान हो सके की वर्तमान में

प्रार्थी तथा अप्रार्थीगणों के मध्य मौके पर कब्जा

काश्त संबंधी कोई विवाद हो अतः दिनांक 3/10/23

को पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

~~आ~~ अपास्त किया जाकर निष्प्रभावी घोषित किया

जाता है। साथ ही प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

लगातार -

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी

धारा 212 RTA अनुतोषभोग्य ना होने तथा प्रार्थीगणो द्वारा अनुतोषभोग्य होना सिद्ध करने मे असफल होने / रहने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/7/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

हस्ता०

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)